

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 09.07.2020

प्रार्थना-पत्र संख्या :-72 / 2020

MS NO:- 2020/00163

वासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. बदाम बाई पत्नी सोहन लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवाँ जिला बून्दी
2. बदाम बाई पत्नी लटूर लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवाँ जिला बून्दी

-प्रार्थीगण-

बनाम

1. अमरलाल पि0 भैरूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवाँ जिला बून्दी
2. भू-स्वामी जयें तहसीलदार साहब नैनवाँ जिला बून्दी।

-अप्रार्थीगण-

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति-

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 02.12.2021


संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवाँ में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा संख्या 98, 99, 100 कुल रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 1561, 1562 व 1557 के बीच में होकर निकल रहा है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ-पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवाँ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 96 सिवायचक में से रकबा 114 गट्टा • 2 गट्टा = 228 वर्ग गट्टा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवाँ का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट बामनगांव में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवाँ ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवाँ में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा संख्या 98, 99, 100 कुल रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुँचने के लिए भूमि खसरा संख्या 96 सिवायचक में से रकबा 114 गट्टा • 2 गट्टा = 228 वर्ग गट्टा भूमि, जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता नक्शा ट्रेस रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उसी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम

किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां  
नैनवां (बुन्दी)